न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल।
नामांतरण अपील वाद सं0– 10/2016–17
फैजुद्दीन शेख
बनाम
जहॉनारा खातुन वगै0
आदेश

15.7.17

यह नामांतरण अपील वाद आवेदक फैजुद्दीन शेख, पिता– स्व0 जमशेद शेख, सा0– करबला, थाना– राजमहल के आवेदन पर अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 427/1995–96 में दिनांक 17.07.1995 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की गई है। साथ ही लिमिटेशन एक्ट की धारा 05 के तहत् कालक्षन्ति हेतु आवेदन दाखिल की गई है, जिसे स्वीकृत कर वाद की कार्रवाई दिनांक 03.03.2017 को प्रारम्भ की गई है।

विवादित भूमि की विवरणी:–

मौजा	जमा0 नं0	रकवा
नारायणपुर	385	02 बीघा 05 कट्ठा

विधिवत् नोटिश तामिला प्राप्त होने के पश्चात भी उत्तरवादी कभी भी उपस्थित नहीं हुए है एवं आज भी उत्तरवादी अनुपस्थित। अपीलार्थी की ओर से वकालतन हाजरी है। फलस्वरूप अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा नारायणपुर (असर्वेक्षित मौजा) अंतर्गत जमाबंदी नं0 385 रकवा 04 बीघा जमीन उत्तरवादी के पति तजमुल हुसैन के पिता नूर मोहम्मद शेख के नाम से पंजी II में दर्ज है। उत्तरवादी के पति ने उक्त जमीन वारिसन सूत्र से पांच निबंधित दस्तावेज संख्या 3892, 2603, 4652, 5472 एवं 1510 दिनांक 11.07.1981, 18.07.1981, 11.09.1981, 19.11.1981 एवं 27.02.1982 के द्वारा प्राप्त कर उक्त जमीन में से 02 बीघा जमीन अपीलार्थी के पिता के पास विक्रय कर दिये थे। विक्रय के पश्चात से ही उक्त जमीन अपीलार्थी के पिता के दखल में था एवं वर्तमान में अपीलार्थी के दखल में है। विपक्षी जहॉनारा खातुन के पति ने अपीलार्थी के पिता के पास बेची जमीन को जालसाजी कर पुनः दिनांक 23.03.1982 को निबंधित दस्तावेज के द्वारा अपनी पत्नी के नाम 02 बीघा 05 कट्ठा जमीन का निबंधित विक्रयनामा दस्तावेज निष्पादित किये एवं अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 427/1995–96 के द्वारा गलत तरीके से अपने नाम नांमातरण करवा लिये हैं।

अपीलार्थी को उक्त नामांतरण वाद की जानकारी तब हुई जब उत्तरवादी के द्वारा श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के न्यायालय में उच्छेदी वाद सं0 20/2014 का नोटिश प्राप्त हुआ। नोटिस प्राप्ति के पश्चात अपीलार्थी उक्त जमीन से संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये। न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के कागजात के अवलोकन करने के पश्चात पाया कि उत्तरवादी के द्वारा उक्त जमीन का उच्छेदी हेतु झुठा मुकदमा दाखिल किये हैं। तब उत्तरवादी ने उक्त उच्छेदी वाद को अंतिम आदेश पारित होने के पूर्व ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से वापस ले लिये हैं।

अपीलार्थी ने अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज दाखिल

15/7/17

Scanned with CamScanner

किये हैः–

1. नामांतरण वाद सं0 427 / 1995–96 की छाया प्रति 05 पन्ने में।
2. उच्छेदी वाद सं0 20 / 2014–15 में वाद वापसी हेतु आवेदन की अभिप्रमाणित की छाया प्रति।
3. निबंधित विक्रय केवाला सं0 2892, 2603 एवं 4652 की छाया प्रति हिन्दी अनुवाद के साथ 07, 05 एवं 05 पन्ने में।
4. केवाला सं0 5472 एवं 1570 की छाया प्रति 03–03 पन्ने में एवं
5. जहॉनारा खातुन के पक्ष में निष्पादित विक्रय केवाला की छाया प्रति।

इस नामांतरण अपील आवेदन में संलग्न नामांतरण वाद सं0 427 / 1995–96 की अभिप्रमाणित प्रति के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते हैं:–

1. संबंधित हल्का कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये है कि स्थल जाँच किया एवं राजस्व पंजी से मिलान किया, जो सही है। प्रतिवेदित जमीन आवेदिका ने निबंधित दस्तावेज सं0 2124 दिनांक 23.03.1982 के द्वारा प्राप्त कर शांतिपूर्वक ढंग से दखल भोग कर रही हैं। विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र है तथा अपने हिस्से से अधिक जमीन बिक्री की है। उभय पक्ष भू–हदबंदी से बरी है। गैर मजरूआ आम खास, बासगीत पर्चा तथा अन्य सरकारी भूमि नहीं है। अतः मान्य हो तो नामांतरण किया जा सकता है। अंचल निरीक्षक ने भी उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण की अनुशंसा किये हैं।
2. उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा नामांतरण वाद सं0 427 / 1995–96 में जहॉनारा खातुन के पक्ष में नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दाखिल कागजात एवं अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 427 / 1995–96 की अभिप्रमाणित प्रति के अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि विक्रेता अपने हिस्से से अधिक जमीन जहॉनारा खातुन वगै0 के पास बिक्री किये है एवं जहॉनारा खातनु ने अपने नाम से नामांतरण करा लिये हैं। वर्णित जमीन मौजा नारायणपुर के जमाबंदी नं0 385 असर्वेक्षित रकवा 02 बीघा 05 कट्ठा जमीन से संबंधित उच्छेदी वाद सं0 20 / 2014–15 उत्तरवादी जहॉनारा खातुन के द्वारा दायर की गई थी, जिसमें जहॉनारा खातुन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्छेदी वाद वापस ले लिये हैं।

उपरोक्त तमाम स्थितियों पर सम्यक रूपेण विचारोपरांत अपीलार्थी के द्वारा दायर नामांतरण अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 427 / 1995–96 में दिनांक 17.07.1995 में पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side) किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, राजमहल को भेजें।

लेखापित एवं संसोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल।